उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग--1
सं0--सं0वि0क0नि0--1--492 /11--2014--1035(70)/93टी0सी0
लखनऊ::दिनाँक:: 19 मई, 2014

कार्यालय--ज्ञाप

वाणिज्य कर विभाग में विभिन्न स्रोतों से भर्ती किये गये असिस्टेंट कमिश्नरों की अंतिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या--क0स0वि0--1--2970/11--93--1035(14)/92, दिनाँक 02--7--97 द्वारा प्रसारित की गयी है। उक्त ज्येष्ठता सूची में असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर के सीधीभर्ती वर्ष 1985 बैच के अधिकारियों के ज्येष्ठता कमांक--998 से 1017 पर अवधारित की गयी है। श्री अवनीन्द्र कुमार राय, जिनका नाम लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची दिनाँक 18--4--87 में श्री विजय नन्दन सिन्हा मेरिट कमांक--45 के नीचे मेरिट कमांक--47 पर अंकित होने के कारण ज्येष्ठता सूची दिनाँक 02--7--97 में निर्धारित ज्येष्ठता कमांक--1028 को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या--स0वि0क0नि0 --1--1420(2)/11--2010--1035 (70)/93, दिनाँक 23--9--10 द्वारा श्री विजय नन्दन सिन्हा के ज्येष्ठता कमांक--1017 के ठीक नीचे कमांक--1017ए पर संशोधित करते हुए अवधारित किया गया है।

2. उक्त के कम में श्री अखिल बिहारी, ज्वाइंट कमिश्नर द्वारा भी लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के अनुसार ज्येष्ठता सूची दिनाँक 02--7--97 में ज्येष्ठता निर्धारित न होने के कारण ज्येष्ठता संशोधन का अनुरोध किया गया, जिस पर कमिश्नर, वाणिज्य कर की आख्या दिनाँक 17--2--14 प्राप्त करने पर यह पाया गया कि वर्ष 1985 बैच के ज्येष्ठता कमांक--1017 पर अंकित अधिकारी श्री विजय नन्दन सिन्हा के नीचे के कतिपय अधिकारियों की ज्येष्ठता, लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची, जो विज्ञप्ति दिनाँक 18--4--87 से प्रसारित है, के अनुसार निर्धारित नहीं है।

3. उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम--8 एवं उसके उपनियम के अनुसार किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधीभर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दर्शायी गयी है। उक्त व्यवस्था के अनुसार सीधीभर्ती वर्ष 1985 बैच के कतिपय असिस्टेंट कमिश्नरों की ज्येष्ठता, ज्येष्ठता सूची दिनाँक 02--7--97 में लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची दिनाँक 18--4--87 में अंकित मेरिट कमांक के अनुसार न होने के कारण कार्यालय ज्ञाप संख्या--स0वि0क0नि0--1--438/11--2014--1035 (70)/93,टी0सी0, दिनाँक 07--3--14 द्वारा ज्येष्ठता संशोधन किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों से दिनाँक 20--3--14 तक अपनी आपत्ति/अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 07--3--14 के कम में संबंधित अधिकारियों की आपत्तियाँ प्राप्त होने पर श्री आर0बी0 वर्मा एवं श्री ब्रजपाल सिंह द्वारा उक्त ज्येष्ठता सूची दिनाँक 02--7--97 में कोई संशोधन न करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम--8 एवं उसके उपनियम के अनुसार इन दोनों अधिकारियो की आपत्तियाँ स्वीकार योग्य नहीं पायी गयी है।

4. अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम--8 एवं उसके उपनियम के अनुसार वाणिज्य कर विभाग में सीधीभर्ती वर्ष 1985 बैच के असिस्टेंट कमिश्नर संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनकी ज्येष्ठता, ज्येष्ठता सूची दिनाँक 02--7--97 में लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची दिनाँक 18--4--87 में उल्लिखित मेरिट सूची के अनुसार निर्धारित नहीं है, की ज्येष्ठता एतदद्वारा निम्नवत् तालिका के कालम--5 के अनुसार एतदद्वारा संशोधित की जाती है:--

क0 सं0	अधिकारी का नाम सर्वश्री--	लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में कमांक	ज्येष्ठता कमांक 02 जुलाई, 1997 के अनुसार	संशोधन के उपरान्त ज्येष्ठता कमांक
1	2	3	4	5
1	अवनीन्द्र कुमार राय	47	इनकी ज्येष्ठता पूर्व ज्येष्ठता सूची में 1027 थी, जिसे	1017ए

			लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के आधार पर शासन के आदेश दिनॉक 23–9–10 द्वारा संशोधित कर 1017ए की गयी है।	
2	राम किशोर सिंह	48	1029	1017बी
3	अखिल बिहारी	49	1028	1017सी
4	कामता प्रसाद	64	1033	1017डी
5	जितेन्द्र सिंह	106	1033ए	1017ई
6	नारायण कुमार अग्रवाल	112	1018	1018
7	संतोष कुमार श्रीवास्तव	115	1031	1018ए
8	सुभाष चन्द्र राम	116	1019	1019
9	मेवालाल	119	1030	1019ए
10	महाबीर प्रसाद	120	1020	1020
11	ब्रजपाल सिंह	121	1021	1021
12	रामबली	127	1022	1022
13	राजाराम	129	1023	1023
14	मुन्नी लाल	130	1024	1024
15	कृष्ण प्रसाद शुक्ला	142	1025	1025
16	कै0 यादवेन्द्र सिंह	152	1026	1026

5. उक्त के अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची दिनॉक 02–7–97 में श्री अखिल बिहारी के नाम के आगे पदभार ग्रहण करने की तिथि 31–12–98 के स्थान पर 31–12–88 पढ़े जाने की सीमा तक संशोधित भी समझा जायेगा।

एस0एन0प्रसाद
सचिव।

संख्या–सं0वि0क0नि0–1– 492 **(1)/11–2014, तद्दिनॉक,**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कमिश्नर, वाणिज्य–कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2. संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य–कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

पृ0 पत्र संख्या-स्था-1-असि0कमि0-ज्येष्ठता पार्ट-1-14-15// 513 //वा0क0

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 26-मई- 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।

2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ,वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को उक्त पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जोन में तैनात सूची में अंकित अधिकारियों पर पत्र तामील कराकर तामीलीशुदा / दिनॉक युक्त प्रति लौटती डाक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें साथ ही उक्त सूची में अंकित जो अधिकारी जोन से सेवानिवृत्त हो गये हैं उन अधिकारियों पर भी पत्र की तामीली उनके निवास के पते पर तामील कराते हुए मुख्यालय अवगत कराने का कष्ट करें साथ ही शासन द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त आपत्तियों को विशेष वाहक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें ।

3- ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

4- सम्बन्धित अधिकारियों के नाम से ।

5- उक्त सूची में अंकित सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबवाईट से सूची प्राप्त कर ---------------------------- करने का कष्ट करें ।

6- श्री खरे, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-A स्थापना अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कम्प्यूटर में अधिकारियों की ज्येष्ठता संशोधित करना सुनिश्चित करें ।

7- डिप्टी कमिश्नर (पटल सहायक) श्री बिष्ट, प्रधान सहायक / श्री बंशी लाल , वरिष्ठ सहायक ।

(विनोद कुमार सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।